दिनांक 28.05.2014 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति द्वारा एम0ओ0यू0 की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– सूची संलग्न।

कार्यवाही:–

आज दिनांक 28.05.2014 को एम0ओ0यू0 की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की बैठक में निम्न एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कम्पनियों के issues की समीक्षा की गयी एवं निम्नांकित निर्णय लिए गये:–

1. **सर्वश्री जे0एस0डब्लू0 स्टील लिमिटेड:**– बैठक में कम्पनी की अद्यतन प्रगति के संबंध में चर्चा की गयी। कम्पनी एवं सरकार के मध्य दिनांक 09.11.2005 को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया था जिसका अवधि विस्तार 31.03.2014 तक है। कम्पनी के परियोजना की कुल लागत रू0 35000.00 करोड़ है जिसके विरूद्ध कम्पनी द्वारा अब तक लगभग रू0 398.92 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। कम्पनी को परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 3355.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता बतायी गयी है, जिसके विरूद्ध अब तक लगभग 621.78 एकड़ भूमि का इकाई द्वारा क्रय किया जा चुका है तथा कुल 931.0 एकड़ एस0सी0/एस0टी0 भूमि का क्रय हेतु उपायुक्त, राँची से सहमति प्राप्त हो चुका है। शेष आवश्यक भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

समीक्षोपरान्त कम्पनी द्वारा अब तक परियोजना की स्थापना की दिशा में किये गये भूमि क्रय की प्रगति एवं रू0 398.92 करोड़ के निवेश के क्रम में सर्वसम्मति से पूर्व हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 को 31.03.2016 तक के लिए अवधि विस्तार देने हेतु निर्णय लिया गया।

2. **सर्वश्री जुपीटर सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज**– सर्वश्री जुपीटर सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज के अद्यतन प्रगति के संबंध में विचार किया गया। दिनांक 23.03.2006 को कम्पनी एवं सरकार के मध्य

600 TPD सिमेन्ट उत्पादन के लिए एम0ओ0यू0 किया गया था। दिनांक 16.11.2012 को सम्पन्न HPC की बैठक में कम्पनी के एम0ओ0यू0 की अवधि 31.03.2014 तक विस्तारित है। कम्पनी के द्वारा सीमेन्ट उत्पादन की क्षमता को 600 TPD से बढ़ाकर 1800 TPD किया गया। प्लान्ट की स्थापना के लिए कुल आवश्यक भूमि 110 एकड़ के विरूद्ध 259.56 एकड़ भूमि का क्रय किया गया है एवं कम्पनी द्वारा कुल रू0 15.00 करोड़ का निवेश प्रतिवेदित है। समीक्षोपरान्त कम्पनी के परियोजना में भूमि क्रय की प्रगति के क्रम में सर्वसम्मति से सर्वश्री जुपीटर सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज लि0 के एम0ओ0यू0 को 31.03.2016 तक अवधि विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

3. <u>सर्वश्री कॉरपोरेट इस्पात एल्वायज लि0</u>:– कम्पनी एवं सरकार के मध्य दिनांक 14.08.2008 को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया। कम्पनी द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुल आवश्यक 1480.78 एकड़ भूमि के विरूद्ध अभी तक 450.00 एकड़ भूमि का क्रय किया जा चुका है तथा रू0 951.00 करोड का निवेश किया जा चुका है।

दिनांक 06.01.2014 को सम्पन्न CCI-PMG की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में कम्पनी को एक सप्ताह के अन्दर Presentation देने का निर्देश दिया गया था। परन्तु कम्पनी को सूचित करने के उपरान्त भी अभी तक Presentation नहीं दिया गया है। उच्च स्तरीय समिति की इस बैठक में कम्पनी को उद्योग सचिव के समक्ष वर्त्तमान स्थिति से अवगत कराने संबंधी Presentation देने का निर्देश दिया गया।

4. <u>सर्वश्री एसेल माईनिंग इन्डस्ट्रीज लि0</u>– उच्च स्तरीय समिति की बैठक में कम्पनी के प्रगति पर विचार किया गया। कम्पनी एवं सरकार के मध्य दिनांक 05.05.2006 को एम0ओ0यू0 किया गया था, जिसे दिनांक 05.05.2009 तक विस्तारित किया गया है। प्रारम्भ में कम्पनी के परियोजना हेतु जगन्नाथपुर, चाईवासा का चयन किया गया था।

एम0ओ0यू0 के अनुसार कुल 500 एकड़ भूमि का क्रय किया जाना था, परन्तु कम्पनी द्वारा परियोजना को चाकुलिया, पूर्वी सिंहभूम में स्थानांतरित करने हेतु सरकार की सहमति का अनुरोध किया गया है। चाकुलिया में 134.924 एकड़ भूमि का क्रय किया गया है। समीक्षोपरान्त कम्पनी के प्रगति एवं स्थल परिवर्त्तन अनुरोध पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्थल परिवर्त्तन की सहमति प्रदान की गयी तथा कम्पनी के एम0ओ0यू0 को पत्र निर्गत की तिथि से अगले 2 वर्षों तक के लिए अवधि विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

5. **सर्वश्री प्रकाश इस्पात लि0**– उच्च स्तरीय समिति के द्वारा कम्पनी की अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। कम्पनी एवं सरकार के मध्य दिनांक 26.03.2004 को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया था।

कम्पनी द्वारा भूमि क्रय हेतु राशि जमा करने के उपरान्त उपायुक्त, चाईवासा द्वारा कुल 75.00 एकड़ सरकारी भूमि कम्पनी को आवंटित किया गया। परन्तु कम्पनी को भूमि पर दखल अभी तक नहीं हो पाया है। उपायुक्त, चाईवासा से दूरभाष पर जानकारी दी गई है कि भूमि का दखल देने में कुछ स्थानीय स्तर पर समस्यायें हैं जिसका समाधान कम्पनी के प्रतिनिधि एवं स्थानीय लोगों के साथ उनके द्वारा किया जा रहा है। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम आवश्यक कार्रवाई करेगें तथा उक्त क्रम में कम्पनी के एम0ओ0यू0 को रद्द किये जाने से संबंधित निर्गत स्पष्टीकरण नोटिस वापस लेने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

मुख्य सचिव
झारखण्ड, राँची

Meeting

ज्ञापांक 1573 /राँची, दिनांक 09-06-2014
05/उ0नि0/एम0ओ0यू0/04/2013

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, विधि(न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक उद्योग
झारखण्ड, राँची।